

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 2/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

1. सारणी में,-

- (1) क्र. सं. 20 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "दलहन [मटर (पाइसम साटिवम) तुअर, चने, काबुली चना, बंगाल चना और मसूर (दाल) के सिवाय]" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (2) क्र. सं. 20क, 21क, 21ख, 21ग, 21घ के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 10% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (3) क्र. सं. 21ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (4) क्र. सं. 32क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 15% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (5) क्र. सं. 32ख के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 35 % प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (6) क्र. सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (7) क्र. सं. 57, 61, 70 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 15% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (8) क्र. सं. 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"104क	2204, 2205, 2206, 2208	सभी माल	50%	-	-";

- (9) क्र. सं. 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (10) क्र. सं. 119 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "झींगा लारवा आहार" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (11) क्र. सं. 119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"119क	अध्याय 23 (2309 10 00 को छोड़कर)	सभी माल	15%	-	-";

- (12) क्र. सं. 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"130	2528	सभी माल	2.5%	-	-";

- (13) क्र. सं. 131, 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (14) क्र. सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141	2701, 2702, 2703	सभी माल	1%	-	-";

(15) क्र. सं. 147क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(16) क्र. सं. 175 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "2501" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(17) क्र. सं. 202, 203, 209 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(18) क्र. सं. 210 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(19) क्र. सं. 219 के सामने, स्तंभ (2) में, "3102 21 00" अंक के स्थान पर, "3102 21 00, 3102 30 00" अंक रखे जाएंगे;

(20) क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"219(क)	3102 30 00	सभी माल	2.5%	-	";

(21) क्र. सं. 221, 226, 228 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(22) क्र. सं. 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा;

(23) क्र. सं. 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(24) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "9 और 22" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(25) क्र. सं. 254, 255 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(26) क्रम सं. 257 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"257	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	सन्द्रावी निर्यातकों द्वारा आयातित टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, बटन, हैंगर या प्रिंटेड बैग (जो पॉलिथिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, उच्च आप्ठिक या उच्च सघन पॉलीएथिलिन से बने हों)	शून्य	-	108";

(27) क्रम सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(28) क्रम सं. 273 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम सं. 284 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण - किसी शंका का समाधान करने के लिए, इस प्रविष्टि में प्राकृतिक रबर लेटेक्स के बने खिलौने गुब्बारे (खिलौने गुब्बारे सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 9503 के अधीन वर्गीकृत हैं), सम्मिलित नहीं हैं।";

(30) क्रम सं. 285 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(31) क्रम सं. 292 के सामने, स्तंभ (6) में, दोनों स्थान पर, प्रविष्टि के स्थान पर, "9" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(32) क्रम सं. 293क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"293क	48	समाचार पत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) न्यूज़ प्रिंट (ii) न्यूज़ प्रिंट (इसके सरफेस रफनेस से भिन्न) के विनिर्देशन के अनुरूप अन्य अनकोटेड पेपर	5%	-	31%";

- (33) क्रम सं. 293ख, 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (34) क्रम सं. 311, 312, 313 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 को लोप किया जाएगा;
- (35) क्रम सं. 314 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (36) क्रम सं. 315 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (37) क्रम सं. 318 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (38) क्रम सं. 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (39) क्रम सं. 321 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (40) क्रम सं. 322 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (41) क्रम सं. 333 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर "9" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (42) क्रम सं. 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"342क	7007	उपयोग के लिए उपयुक्त से भिन्न सभी अन्य सभी माल - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटर यान; या (ii) शीर्षक 8703 के अधीन आने वाली मोटर कार; या (iii) शीर्षक 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल।	10%	-	-

- (43) क्रम सं. 349 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "71(7104 90 90 के सिवाय)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (44) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "6.9%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (45) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "6.1%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (46) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में, दोनों स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (47) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (48) क्रम सं. 357 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"357क	7108	क्रम सं. 354 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-
357ख	7106	क्रम सं. 355 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-";

(49) क्रम सं. 362 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(50) क्रम सं. 364क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के पश्चात्, "9.17%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(51) क्रम सं. 364क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364ख	7107 00 00, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7118	सभी माल	10%	-	-
364ग	7113	गोल्ड या सिल्वर फांइन्डिंग्स स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, 'गोल्ड या सिल्वर फांइन्डिंग्स' से लघुघटक जैसे आभूषण के स्थान में टुकड़े के पूरे या भागतः में प्रयोग किए जाने वाले हुक, क्लैप्स, क्लैप, पिन, कैच, स्क्रूबैक अभिप्रेत है।	10%	-	-";

(52) क्रम सं. 365 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(53) क्रम सं. 366 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"366	7201, 7202, 7203,	सभी माल	5%	-	-";

	7205, 7226 11 00				
--	---------------------	--	--	--	--

(54) क्रम सं. 368 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"368	7204	सभी माल	शून्य	-	-";

(55) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां और क्रम संख्या रखी जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"369	7204	सभी माल	2.5%	-	-";

(56) क्रम सं. 370 और 371 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(57) क्रम सं. 371क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(58) क्रम सं. 372, 373, 373क और 373ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(59) क्रम सं. 374 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(60) क्रम सं. 375 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "2.5%" जहां वे आते हैं, के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(61) क्रम सं. 376 और 376ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(62) क्रम सं. 376घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"376ड"	72	निम्नलिखित माल के सिवाय, सभी, अर्थात्:- (i) क्रम सं 366, 367, 368, 369, 371क, 371ख, 374, 375, 376क, 376ख, और 376घ के सामने उल्लिखित माल; (ii) अध्याय 72 के अधीन आने वाले दूसरे और त्रुटियुक्त माल	7.5%	-	-";

(63) क्रम सं. 377 के सामने, स्तंभ (3) के मद (iii) में, "शीर्ष" शब्द के पश्चात् "7318 या" अंक और शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(64) क्रम सं. 377क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"377क.	7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, 7326 90 99	सेलूलर मोबाइल फोन के लिए सिम सॉकेट/अन्य यांत्रिक मद (मेटल) (7326 90 99) के सिवाय सभी माल	10%	-	-";

(65) क्रम सं. 380 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(66) क्रम सं. 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"382	7404	सभी माल	2.5%	-	-";

(67) क्रम सं. 406 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(68) क्रम सं. 408 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 51" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(69) क्रम सं. 410 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 52" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(70) क्रम सं. 413 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 53" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(71) क्रम सं. 414 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 54" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(72) क्रम सं. 430 के सामने, स्तंभ (6) में, "60(i)" और "60(ii)" जहां वे आते हैं, प्रविष्टियों के स्थान पर, "60(i) और 9" तथा "60(ii) और 9" प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी,

(73) क्रम सं. 431 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 61" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(74) क्रम सं. 446 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"446	8431	सुरंग भेदन मशीन के विनिर्माण के लिए पुर्जे और संघटक	2.5%	-	9";

(75) क्रम सं. 448च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों और क्रम संख्या को अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"488छ	8414 40	सभी माल	7.5%	-	-
448ज	8414 80 (8414 80 11 के सिवाय)	सभी माल	7.5%	-	-";

(76) क्रम सं. 471, 472 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(77) क्रम सं. 485 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"485क.	8501 10, 8501 20 00, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52 8501 53	सभी माल	10%	-	-";

(78) क्रम सं. 491 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"491.	8544 (8544 30 00 और 8544 70 के सिवाय)	सभी माल (सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल के सिवाय)	10%	-	-";

(79) क्रम सं. 497 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(80) क्रम सं. 512 के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(क) लीथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) के सिवाय पुर्जे, संघटक और सहायक उपकरण;

(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मद के विनिर्माण के उपयोग के लिए उप-पुर्जे।"

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" जो 1 अप्रैल, 2021 से रखी जाएगी;

(81) क्रम सं. 512 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"512क	कोई अध्याय	लीथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अधीन आता है, के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट, पुर्जे या उप-पुर्जे।	2.5%	-	9";

(82) क्रम सं. 513 के सामने, स्तंभ (3) में, खंड (क) में, मद (i) का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा;

(83) क्रम सं. 516ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"516ग	8536 41 00, 8536 49 00	सभी माल	10%	-	-";

(84) क्रम सं. 527 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"527	8507 60 00	उनके सिवाय जो क्रम सं. 527क और 527ख के सामने उल्लिखित हैं, बैटरी या बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9
527क	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन के बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9
527ख	8507 60 00	इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित यान या मिश्र मोटर यान के बैटरी या बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9";

(85) क्रम सं. 528क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528ख	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन की लीथियम आयन बैटरी या बैटरी पैक	15%	-	-
528ग	8507 60 00	निम्नलिखित माल के सिवाय सभी, अर्थात्:- (i) क्रम सं. 528क और 528ख के सामने उल्लिखित माल; (ii) पॉवर बैंक।	10%	-	-";

(86) क्रम सं. 532 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(87) क्रम सं. 534 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "9 और 74" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(88) क्रम सं. 535 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"535क	कोई अध्याय	संगठक या भाग, जिसके अंतर्गत शीर्ष 8802 के वायुयान के इंजन भी शामिल हैं - (क) शीर्ष 8802 के अधीन आने वाले वायुयान के विनिर्माण के लिए; (ख) (क) पर वायुयान के भाग के विनिर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन लोक सेक्टर इकाई द्वारा आयातित	शून्य	-	9 और 109";

(89) क्रम सं. 559 के सामने स्तंभ (3) के स्पष्टीकरण में मद (i) में, "यथास्थिति अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय कर उप-आयुक्त या केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त या राज्य कर के उपायुक्त या राज्य कर के सहायक आयुक्त," शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क (शुल्क की रियायत दर माल का आयात) नियम, 2017 के अधीन अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क का उपायुक्त या सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(90) क्रम सं. 581क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"581ख।	9031 80 00	सभी माल	7.5%	-	-";

(91) क्रम सं. 587 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(92) क्रम सं. 591 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"591	9503	इलेक्ट्रॉनिक खेलौनों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खेलौनों के पुर्जे	15%	-	9";

(93) क्रम सं. 592 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

II. पहले परंतुक में,-

(1) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् उक्त सारणी के क्रम सं. 368 सामने निर्दिष्ट माल I";"

(2) खंड (ग) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

III. स्पष्टीकरण में, खंड (II) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(III) क्रम सं. 292, 430, 431 और 559 के सामने प्रविष्टियों में 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क (शुल्क की दर में रियायत पर माल का आयात) नियम, 2017 के अधीन सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त पहले किए गए आयात के संबंध में, यदि कोई हो, लंबित कार्यवाही को पूरा करेगा।

IV. उपाबंध में,-

(i) शर्त सं. 22 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) शर्त सं. 24 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(iii) शर्त सं. 30 और 38 का लोप किया जाएगा;

(iv) शर्त सं. 51 में, खंड (3) का लोप किया जाएगा;

(v) शर्त सं. 53 में, खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(vi) शर्त सं. 54 में, खंड (ग) के उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(vii) शर्त सं. 60 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-

"	(i) यदि,-
60.	(क) यदि माल अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए आयातित है;
	(ख) यदि आयातित माल, आयात की तारीख से छह मास के भीतर आयातकर्ता के उक्त अनुसंधान और विकास खंड में संस्थित है;
	(ग) आयात किया गया माल संस्थापन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अंतरित या विक्रीत नहीं है;
	(ii) यदि,-
	(क) माल, वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातित है;
	(ख) आयात किए गए माल का कुल मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आयात के एफओबी मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;
	(ग) आयातकर्ता उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आयात के मूल्य का सत्यापन करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अधीन पहले ही आयात किए गए माल के मूल्य और गुणवत्ता के लिए भी भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
	(घ) आयातित माल, आयात की तारीख से छह माह के भीतर आयातकर्ता की कैवट्री में संस्थित है;
	(ङ) आयात किया गया माल संस्थापन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अंतरित या

	विक्रीत नहीं है।”;
--	--------------------

(viii) शर्त सं. 61 में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“61.	(घ) आयातित माल, आयात की तारीख से छह मास के भीतर आयातकर्ता के उक्त अनुसंधान और विकास खंड में संस्थित है;”;
------	---

(ix) शर्त सं. 79 में, अंक “75.” का लोप किया जाएगा।

(x) शर्त सं. 107 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“108.	यदि,- (i) उक्त माल निर्यात के लिए वस्तुओं पर नियत करने के लिए या ऐसी वस्तुओं की पैकिंग के लिए आयात किया गया है; (ii) आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी धनराशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करेगा जो सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, उक्त माल के संबंध में मांग पर संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, ऐसे माल पर उद्धृत शुल्क पर एक समान धनराशि किंतु उसमें अंतर्विष्ट छूट के लिए, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को समाधान करने के लिए साबित नहीं है, (iii) आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त को यह समाधान करते हुए कि ऐसे आयात की गई वस्तुएं, आयात की तारीख से छह माह के भीतर या उक्त सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात कर दी गई हैं।
109.	यदि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के नीचे का नहीं हो,- (i) आयातित माल की मात्रा, विवरण और तकनीकी विनिर्देश को सत्यापित करेगा; (ii) यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त माल शीर्ष 8802 के अधीन आने वाले वायुयान का विनिर्माण करने के लिए या संघटक या पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त वायुयान का इंजन भी है, आशयित है; (iii) आयातित माल को छूट प्रदान करने के लिए सिफारिश करेगा।

V. सूची 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क, तारीख 26 नवम्बर, 2020 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।